



जोधपुर नगर निगम, जोधपुर

पोलीटेक्नीक कॉलेज परिसर के अन्दर, गौरव पथ, जोधपुर



आयक - 6988

L.B.T.(B) 49 / 2020-21

दिनांक - 11/9/20

श्री अरूण माटी पुत्र श्री रमाम माटी
श्रीमति वंचल माटी पत्नि श्री अरूण माटी
भूखण्ड सं. डी. व्यासजी का मोहरा, जालोरी गेट के बाहर, जोधपुर।

::- भवन निर्माण आदेश :-

विषय :- आवासीय भवन निर्माण प्रयोजनार्थ स्वीकृति हेतु।
प्रस्ता - आपका आवेदन पत्र दिनांक 14.10.2019।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रस्तावित गठित भवन निर्माण अनुमति समिति की बैठक दिनांक 10.06.2020 के प्रस्ताव संख्या 11 के अन्तर्गत अनुमोदित मानचित्र के अनुसार आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति मिल सकती पर प्रदान की जाती है :-

स्वीकृति का प्रकार	आवासीय निर्माण
अनुमत निर्माण	बी+जी+2
कुल क्षेत्रफल	142.75 वर्ग मज

1. बालकनी व छज्जे का निर्माण नहीं करेंगे।
2. पकोसी की बिल्डिंग लाईन को ज्यादा रखेंगे।
3. मानचित्र एवं प्लेट में यदि बहुतरी दर्शावी गई है तो उसे खुली रखेंगे।
4. खालसा मृत्ति पर किसी प्रकार की तामीर का निर्माण नहीं करेंगे।
5. स्वामित्व के संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में यह निर्माण स्वीकृति शून्य होगी।
6. पूर्वा जल संग्रहण सरचना का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
7. भविष्य में बकाया राशि निकालने पर जमा करवाने को बाध्य रहेंगे।
8. भवन में नियमानुसार अग्नि शमन सुस्था व्यवस्था करनी होगी।
9. दी गई भवन निर्माण स्वीकृति के विपरित निर्माण/उपयोग होने पर यह निर्माण स्वीकृति शून्य माननी जाएगी।
10. भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु दी गई अनुज्ञा को स्वामित्व के प्रमाण के रूप में नहीं माना जाएगा।
11. निर्माण स्थल पर 4'x4' के बोर्ड पर स्वीकृत मानचित्र व आदेश की प्रति को प्रदर्शित करना होगा एवं निर्माण पूर्ण सावधानी पूर्वक करना होगा, किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर नगर निगम उत्तरदायी नहीं होगा।
12. भवन निर्माणकर्ता द्वारा स्वीकृत नक्शों के अनुरूप निर्माण किये जाने के दौरान किसी भी प्रकार का मलबा अथवा बिल्डिंग मेटेरियल सड़क पर नहीं डाला जाएगा। यदि किसी भी प्रकार का मलबा/बिल्डिंग मेटेरियल भू-त्वामी द्वारा सड़क पर डाला जाता है तो भवन निर्माणकर्ता को व्यक्तिगत सुधार के अद्वार देने के परधान पालिका द्वारा जारी निर्माण स्वीकृति को निरस्त की जा सकेगी।
13. भवन निर्माणकर्ता द्वारा 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड पर निर्माण आरम्भ किये जाने से पूर्व साईट पर कम से कम एक शौचालय का निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा तथा शौचालय की संख्या प्रति 10 अधिक पर एक शौचालय निर्माण करना आवश्यक होगा। ताकि निर्माण कार्य में लगे मजदूर उसका प्रयोग कर सकें। यदि भवन निर्माणकर्ता द्वारा शौचालय का निर्माण नहीं किया जाता है तो निर्माण स्वीकृति को निरस्त किया जा सकेगा।
14. यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय में निर्मित वाद गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार के निर्णयधीन रहेगा तथा वर्तमान-भविष्य में मास्टर प्लान के अनुरूप नियमों/उपनियमों को मानने के लिये सदैव बाध्य रहेंगे।
15. समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार भवन और शहरी परकोटे के बीच में 10' का रास्ता आवश्यक रखा जावे।

यह स्वीकृति तीन वर्ष के लिये वैध है।

आवेदन शुल्क- 1,000/- जांच शुल्क- 1,194/- भवन निर्माण शुल्क- 1,500/- बी.एस.यू.सी. पत्र शुल्क- 1,730/- मलबा शुल्क- 1,000/- विकास एवं संभारण शुल्क- 3,569/- भवन पूर्णता प्रमाण जरिये रसीद संख्या 9069/1521 दिनांक 14.08.2020, सुरक्षा व अमानत राशि- 4,98,164/- संख्या 9069/1524 दिनांक 14.08.2020 एवं वर्जित संग्रहण एवं अग्निशमन मूल्य रोध शुल्क- 5,000/- जरिये रसीद संख्या 9069/1523 दिनांक 14.08.2020 को निगम कोष में जमा करा दिये गये हैं, साथ ही आपको आदेशित किया जाता है कि दी गई स्वीकृति के विपरित निर्माण कार्य करने पर आपके विरुद्ध राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194/236/245 के प्रावधान के तहत कार्यवाही की जावेगी। भवन निर्माण के परवात् मलबा सड़क पर पड़ा गया तो जुर्माना के रूप में 10,000/- (अष्टे टन हजार रुपये) वसूल किये जायेंगे।

(Handwritten Signature)
उपायुक्त (नगर)
जोधपुर